तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **चैनाराम जाट बेनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, पीपाड़ शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 63/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2022	अपीलार्थी चैनाराम जाट पुत्र जगदीशराम, निवासी ग्राम जवासिया, पोस्ट रियां सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.01.2022 में उसके द्वारा यह है कि ग्राम जवासिया के नामान्तरण संख्या 29/6 में मांगीलाल पुत्र कैनाराम जाट व पाबूराम पुत्र श्री कैनाराम जाट के मध्य खसरा स. 102, 197, 127, 127/311 व 115/308 कुल रकबा 49 बीघा 09 बिस्वा जमीन का बंटवाड़ा आपस में किया गया था। उक्त दोनों में आपस में किये गये बंटवारे की लिखित कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि (2) आपस में किये गये बंटवारे अनुसार खसरों सहित नजरिये नक्शों सहित जो अपने–अपने हिस्से की जमीन अपनाकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर जमीन हिस्से में रखी गई है, का नजरिये नक्शे की सत्य प्रति (3) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.प. (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:26:57 IST
Reason: Self Attested